Marketing and Publicity
Head Office
media@mahabank.co.in; cmmedia@mahabank.co.in

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कोविड ऋण सहायता

पुणे, 24 मई 2020 : ग्राहक उन्मुख सेवा प्रदान करने के लिए पहचाने जाने वाले देश के अग्रणी बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने व्यापारिक उद्यमों द्वारा उनकी सांविधिक देयताओं और दैनंदिन खर्चों को पूरा करने में उत्पन्न होनेवाले लिक्विडिटी मिसमैच की समस्या से उबरने के लिए उदारीकृत शर्तों पर त्वरित और परेशानीमुक्त ऋण प्रदान किए हैं। एमएसएमई, कृषि, एसएचजी और रिटेल खंड को कोविड 19 राहत उपायों के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान की गई है। बैंक ने मार्च 2020 और मई 2020 के बीच लगभग 1 लाख लाभार्थियों को कृषि, एसएचजी, रिटेल, एमएसएमई के अंतर्गत रु.2789 करोड़ के ऋण मंजूर किए हैं।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) ने 'एक परिवार' की अपनी अवधारणा के अनुरूप सहयोगी सुविधाओं (सपोर्ट फैसिलिटीज) का आकलन करने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए शाखाओं द्वारा फोन पर वन टू वन संपर्क करने, प्रोफेशनल्स की समर्पित टीम के माध्यम से टेलीकॉलिंग और ई-मेल तथा वेबिनार, एसएमएस द्वारा ग्राहकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उपाय सक्रिय रूप से आरंभ किए हैं।

व्यवसाय गतिविधियों को फिर से शुरू करने में सहायता के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने के लिए बैंक ने स्वयं को पूरी तरह से तैयार कर लिया है।